राजेश कुमार शर्मा
RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2024(ह)-प्रशासन **02 फरवरी, 2024**

श्रीयुत सचिव,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
'ए' विंग,शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री महेंद्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री कपिलदेव शर्मा, मौर्य विहार रोड न. 3, पत्रालय खगौल, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना-801105 का दिनांक 14.01.2024 का पत्र इस सचिवालय ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,
ह०/-
(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :- श्री महेंद्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री कपिलदेव शर्मा, मौर्य विहार रोड न. 3, पत्रालय खगौल, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना-801105 कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

Email **Rajesh Kumar Sharma**

Fwd: Mahendra Prasad Representation=04.01.24.pdf

From : Vice President of India <vpindia@sansad.nic.in> Sun, Jan 14, 2024 06:12 PM
Subject : Fwd: Mahendra Prasad Representation=04.01.24.pdf 1 attachment
To : Sunita xess <rticell-vps@nic.in>
Cc : Rajesh Kumar Sharma <rajeshk.s@sansad.nic.in>

From: mahendra25121956@gmail.com
To: "Presidents Secretariat" <presidentofindia@rb.nic.in>, "Vice President of India" <vpindia@nic.in>, Pmopgcpgrams-darpg@nic.in, "Ms. Saheli Ghosh Roy" <jscpg-mha@nic.in>, "rksrivastava dla" <rksrivastava.dla@niv.in>
Sent: Sunday, January 14, 2024 5:21:11 PM
Subject: Mahendra Prasad Representation=04.01.24.pdf

Mahendra Prasad Representation=04.01.24.pdf
224 KB

19.01.24

सेवा में,

1. महामहीम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय उप राष्ट्रपति महोदय सह अध्यक्ष,राज्य सभा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. माननीय गृह मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. माननीय विधि एवं न्याय मंत्री महोदय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
7. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

विषय:- दस वर्षों से वेतन भुगतान से वंचित रखकर भुखमरी के हाल में लाकर हत्या के सरकारी षड्यंत्र तथा महाभ्रष्ट सरकारी प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था में अपादमस्तक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एवं अन्याय अत्याचार की सम्मिलित गहरी साजिश द्वारा संवैधानिक मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार का हनन और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 10 वर्ष से अधिक समय तक मामला लंबित रखकर न्यायोचित आदेश पारित करने में अकारण अत्यधिक विलम्ब द्वारा न्याय के अधिकार से निरंतर वंचित किये जाने से परेशान होकर दिनांक 26.01.2024 से CWJC No. 164 / 2019 के वाद (मामला) में न्यायपूर्ण भुगतान प्राप्ति तक प्रतिदिन एक आवेदन अभियान।

प्रसंग:- (1) CWJC No. 225 / 2015= महेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य (2) Civil Review No. 61 / 2018 (3) CWJC No. 164 / 2019 (4) MJC No. 3318 / 2019 (5) तथ्य विवरणी (अनुलग्नक)।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में तथ्य विवरणी (अनुलग्नक) प्रस्तुत करते हुए विनम्र निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में बिन्दुवार तथ्य की विवरणी इस आवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करते हुए निवेदन है कि अपादमस्तक (सिरसे पैर तक) सरकारी न्यायिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एवं अन्याय अत्याचार की सम्मिलित गहरी साजिश द्वारा निरंतर संवैधानिक मौलिक अधिकार/ मानवाधिकार हनन किये जाने तथा पूर्णतया निर्दोष होने पर भी बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा राग-द्वेष की दुर्भावना से ग्रसित होकर वेतन भुगतान से वंचित रखकर तथा वेतन की मांग करने और भ्रष्ट व्यवस्था का विरोध करने पर निर्दोष भूदानकर्मी आवेदक को सेवा से निलंबित करने और जीवन निर्वाह भत्ता से भी वंचित रखने तथा सेवा से बर्खास्त करके भुखमरी के हाल में लाकर हत्या का सरकारी षड्यंत्र किये जाने एवं इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में आवेदक द्वारा दायर किये गये रीट याचिका को विगत 10 वर्ष से मामला लंबित रखकर न्यायोचित आदेश पारित करने में अकारण अत्यधिक विलम्ब द्वारा न्याय के अधिकार से वंचित किये जाने से उबकर पीड़ित आवेदक तथा सहकर्मीगण भुखमरी की जिन्दगी जीते हुए मौत के कगार पर पहुँच चुके हैं और आत्मदाह करने के लिए विवश किये जा रहे हैं।
2. अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दायर किये गये उपरोक्त रीट याचिका के माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करके अधिकतम आगामी गणतंत्र दिवस दिनांक 26.01.2024 तक उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में न्यायोचित आदेश पारित करने तथा आवेदक को वेतन भुगतान सहित पूर्ण सार्थक न्याय प्रदान करने की कृपा किया जाए, अन्यथा महाभ्रष्ट सरकारी न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा निरंतर अन्याय अत्याचार से पीड़ित हताश निराश होकर आवेदक आज से **"प्रतिदिन आवेदन अभियान"** के तहत आपके पास शिकायत पत्र का प्रतिदिन आवेदन देने के लिए विवश होंगे।

विश्वासभाजन

दिनांक:- 04.01.2024

महेंद्र प्रसाद, पिता स्व०कपिलदेव शर्मा, मौर्य विहार रोड नंबर 3, पत्रालय खगौल, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना-801105; मोबाइल नंबर:- 9308706578; ईमेल:- mahendra25121956@gmail.com

17.07.2014 } केन्द्रीय कार्यालय का पत्रांक 10 ख /14-318 दिनांक 17-07-2014/21-07-2014 का पत्र मुझे दिनांक
21.07.2014 } 22-07-2014 को प्राप्त हुआ, जिसमें भोजपुर जिला से भूदान सम्बन्धित मूल दानपत्र, मूल प्रमाणपत्र की अधकट्टी तथा संपुष्टि रजिस्टर का फोटो स्कैन करवाने के लिए दिनांक 22.07.2014 तक भूदान केन्द्रीय कार्यालय पटना पहुचने का निर्देश था |

30.07.2014:- जिला भूदान यज्ञ कमिटी कार्यालय का पत्रांक १० ख /14-20 दिनांक 30.07.2014 के पूर्व श्री केदार नाथ दत्त, कार्यालय मंत्री, प्रधान कार्यालय, पटना तथा तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति से मोबाईल द्वारा पूर्व में हुई बातचीत का हवाला देते हुए हम अपनी समस्या बताये तथा किसी अधिकृत जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित अभिलेख लिखित रूप से प्राप्त करके ले जाने हेतु जिला कार्यालय भोजपुर आरा भेजने का निवेदन किया था|

06.08.2014:- मेरे द्वारा भेजा गया पत्रांक 10 ख/14-20 दिनांक 30.07.2014 पर ही तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति ने श्री युगल किशोर वर्मा, जन संपर्क पदाधिकारी, प्रधान कार्यालय पटना को अधिकृत कर भेजा गया कि अपेक्षित कागजातों को लेकर मुझे श्री वर्मा जी के साथ प्रधान कार्यालय पटना आने का निर्देश था | श्री वर्मा जी से मैंने पूछा कि ये सब कागजात मेरे लिखित प्रभार में है, वहां ले जाने पर कौन प्राप्त करेंगे तथा मुझे प्रधान कार्यालय पटना में कितना दिन रुकना पड़ेगा, कबतक दस्तावेज का फोटो स्कैन होगा और सभी कागजात वापस मुझे कबतक प्राप्त होगा?? इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया | इसके बाद श्री वर्माजी कार्यालय से बाहर जाकर बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष सही शुभमूर्ति से मोबाईल पर बात किये तथा वापस हमारे पास आने पर उन्होंने हमसे कहा कि अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं कि आरा भूदान कार्यालय में रखे गए सम्पूर्ण गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची कबतक बन जाएगी ?? उसके बाद श्री वर्माजी वही पत्र हमारी तरफ बढ़ा दिए जिसमें तत्कालीन भूदान अध्यक्ष द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया था | उसी पत्र पर हमारे द्वारा अंकित कर दिया गया कि दिनांक 05.09.2014 तक समस्त दस्तावेज की सूची तैयार कर दी जायेगी और उसके बाद अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करके दस्तावेज ले जाया जा सकेगा |

22.08.2014:- केंद्रीय भूदान कार्यालय पटना के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय का पत्रांक 10 ख / 14-406 दिनांक 06.08.2014 का पत्र दिनांक 22.08.2014 को मुझे प्राप्त हुआ जिसमें निर्देश था कि दिनांक 07.09.2014 से 10.09.2014 के बीच जो भी व्यक्ति भेजा जाएगा उसको अपेक्षित कागजात उपलब्ध करा दिया जाए |

23.08.2014:- बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 05.09.2014 के पूर्व ही हमारे प्रभार में आरा भूदान कार्यालय में रखे गए उपरोक्त सम्पूर्ण गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज की सूची तैयार करके जिला भूदान कार्यालय आरा के पत्रांक 10 ख /14-27 दिनांक 23.08.2014 को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया गया कि किसी अधिकृत जिम्मेवार व्यक्ति को भेजकर लिखित रूप में सूचीबद्ध उपरोक्त सम्पूर्ण गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्राप्त कर लें तथा समस्त दस्तावेज का फोटो स्कैन करवा लेने के उपरांत पुनः लिखित रूप में सूचीबद्ध उपरोक्त सम्पूर्ण गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज हमें वापस करने का निवेदन किया गया |

05.09.2014:- श्री रामजी सिंह (पूर्व सदस्य बिहार भूदान यज्ञ कमिटी तथा पूर्व सांसद एवं पूर्व कुलपति) तथा श्री विजय भाई (मंत्री सर्व सेवा संघ) श्री चंद्रभूषण (मंत्री बिहार लोक समिति, कदमकुआं पटना) के संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को लिखित पत्र दिनांक 05.09.2014 भेजा गया था जिसमें बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा किये जा रहे भ्रष्ट कुकृत्यों एवं गबन घोटाला आदि का सिलसिलेवार विवरण वर्णित था, यथा – (1) सरकार से बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को मिलनेवाली अनुदान राशि का गबन घोटाला करना (2) एन०टी०पी०सी० भागलपुर द्वारा अधिग्रहित बिहार भूदान यज्ञ कमिटी की भूमि से सम्बंधित मुआवजा राशि का बिहार भूदान कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा हड़पना (3) बिहार भूदान कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के जमीन का हेरा फेरी करके अकूत दौलत कमाना (4) बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के जिला कार्यालयों में संरक्षित भूदान के मूल दानपत्र, मूल प्रमाणपत्र की अधकट्टी, संपुष्टि रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज का फोटो स्कैन करवाकर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा उसका दुरुपयोग किये जाने की जानकारी बिहार सरकार को दी गयी थी |

16.09.2014:- बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति के महाभ्रष्ट कुकृत्य के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16.09.2014 को एक जनहित याचिका (CWJC No. 17055/ 2014) दायर करके बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने की मांग की गयी थी, जिसमें बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति के निम्नांकित महाभ्रष्ट कुकृत्य को आधार बनाया गया था:- (1) सरकार से बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को मिलनेवाली अनुदान राशि का गबन घोटाला करना (2) एन०टी०पी०सी० भागलपुर द्वारा अधिग्रहित बिहार भूदान यज्ञ कमिटी की भूमि से सम्बंधित मुआवजा राशि का बिहार भूदान कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा हड़पना (3) बिहार भूदान कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के जमीन का हेरा फेरी करके अकूत दौलत कमाना (4) बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के जिला कार्यालयों में संरक्षित भूदान के मूल दानपत्र, मूल प्रमाणपत्र की अधकट्टी, संपुष्टि रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज का फोटो स्कैन करवाकर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा उसका दुरुपयोग किये जाना (5) बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के वरीय कर्त्तव्यपरायण ईमानदार भूदान कर्मी की वरीयता तथा ईमानदारी और कर्त्तव्यपरायणता की अनदेखी और भेदभाव करके महाभ्रष्ट तरीका से रुपया लेकर दो कतपय चुनिंदे प्रभावशाली व्यक्ति (क) मोहम्मद इसराफिल तथा (ख) केदार नाथ दत्त को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रधान कार्यालय में कार्यालय मंत्री के पद पर पदस्थापित किया जाना | माननीय पटना उच्च न्यायालय में दिनांक 16.09.2014 को दायर उपरोक्त जनहित याचिका (CWJC No. 17055/ 2014) के कारण बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति हमसे पुरी तरह नाराज होकर हमें सेवामुक्त करने की साजिश करना प्रारम्भ कर दिए |

17.09.2014:- बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति द्वारा प्रेषित पत्रांक 10 ख / 14/544 दिनांक 08.09.2014 का पत्र हमें दिनांक 17.09.2014 को प्राप्त हुआ, जिसमें निम्नांकित आरोप हमारे ऊपर लगाकर हमसे दिनांक 20.09.2014 तक स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी:- (1) अपेक्षित कागजात देने में उदासीनता (2) भूदान से सम्बंधित दस्तावेज यथा भूदान के मूल दानपत्र, मूल प्रमाणपत्र की अधकट्टी, संपुष्टि रजिस्टर आदि के स्कैनिंग के विषय में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि एवं गलत मंशा का संदेह मेरे द्वारा व्यक्त करना |

17.09.2014:- भूदान जिला कार्यालय भोजपुर आरा के पत्रांक 10 ख / 14-39 दिनांक 17.09.2014 द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति को प्रेषित पत्र के माध्यम से उपरोक्त पत्रांक 10 ख / 14/544 दिनांक 08.09.2014 का अविलम्ब जवाब देते हुए मेरे द्वारा संक्षिप्त स्पष्टीकरण भेज दिया गया तथा बिन्दुवार सप्रमाण सम्पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय की मांग की गयी थी |

28.11.2014:- बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति के पत्रांक 10 ख / 14-814 दिनांक 28.11.2014 द्वारा दिनांक 27.11.2014 से भूतलक्षी प्रभाव से हमें निलंबित कर दिया गया | निलंबन का आधार बनाया गया मेरे द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति को प्रेषित उपरोक्त पत्रांक 10 ख / 14-39 दिनांक 17.09.2014 को तथा उसके बाद नवम्बर 2014 से आजतक करीब 8 वर्षों से हमें किसी प्रकार का कोई जीवन निर्वाह भत्ता वेतानादि के मद में कभी एक रुपया का भी भुगतान नहीं किया गया है |

15.12.2014:- उपरोक्त निलंबन आदेश दिनांक 28.11.2014 के विरुद्ध हमारे द्वारा दिनांक 15.12.2014 को माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया गया जिसका नंबर CWJC No. 225/ 2015 है |

30.06.2015:- माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 के लंबित अवधि में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति के पत्रांक 10 ख / 15-321 दिनांक 30.06.2015 द्वारा दिनांक 30.06.2015 के प्रभाव से बिना कारण बताये दो लाइन के आदेश द्वारा हमें सेवामुक्त बर्खास्त कर दिया गया | उपरोक्त सेवामुक्ति आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरुद्ध रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 में आइ०ए० पेटीशन फ़ाइल करके सेवामुक्ति आदेश को चुनौती दिया गया |

इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 9009/ 2016 (राजेन्द्र सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय न्यायमूर्ति ज्योति सरन द्वारा पारित आदेश उपरोक्त रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 के तथ्यों से पुर्णतः मेल खाता था जिसे न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया था | परन्तु उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा उपरोक्त रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 में उद्धृत नहीं किया गया |

परन्तु उसके स्थान पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा उपरोक्त रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 में CWJC No. 17405/ 2008 (हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश को आधार बनाया गया, जो CWJC No. 225/ 2015 के तथ्यों से तनिक भी मेल नहीं खाता था तथा जिसको किसी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा केस में बहस के दौरान उद्धृत नहीं किया गया था |

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यातव्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा उपरोक्त रीट याचिका CWJC No. 225/ 2015 में दिनांक 29.01.2018 को केस की सुनवाई करके आवेदक के रूप में मेरे सामने भरे कोर्ट में माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2018 को लिखवाया गया था, जिसमें कहीं भी CWJC No. 17405/2008 (हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश को उद्धृत नहीं किया गया था | परन्तु उपरोक्त CWJC No. 225/ 2015 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2008 पर माननीय न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद द्वारा दिनांक 07.02.2018 को हस्ताक्षर करके प्रोनाउन्स किया गया तथा उसमें अपनी तरफ से CWJC No. 17405/2008 (हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश को उद्धृत किया गया, जो CWJC No. 225/ 2015 के तथ्यों से तनिक भी मेल नहीं खाता था तथा जिसको किसी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा केस में बहस के दौरान उद्धृत नहीं किया गया था |

CWJC No. 17405/2008 (हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य) वाद में तुलनात्मक तथ्य

हसन मुजाहिद के उपरोक्त वाद का तथ्य यह है कि वह बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्षेत्रीय कर्मी (फील्ड वर्कर) थे | उनपर आरोप था कि फील्ड में फील्ड में कार्य करते हुए रुपया कलेक्ट करके ऑफिस में जमा नहीं किये | उनपर लगाये गए आरोप के सम्बन्ध में जांच करवाया गया जिसमें उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुआ तथा उसके आधार पर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया | सेवा मुक्ति की तिथि से छः वर्ष बाद उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में उपर्युक्त रीट याचिका दायर किया | माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ द्वारा उपर्युक्त मामला की सुनवाई करके उनके सेवामुक्ति आदेश को रद्द करके उन्हें सेवा में वापस लिया गया | परन्तु सेवा मुक्ति के छः वर्ष बाद न्यायालय में आने के कारण उस अवधी का वेतन उन्हें नहीं दिया गया |

16.05.2018:- दिनांक 09.03.2018 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा भरे कोर्ट में मौखिक आदेश देकर आवेदक के अधिवक्ता से Civil Review No. 61/2018 के प्रार्थना भाग (प्रेयर पोर्शन) को कटवाया गया तथा उसके बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय के एकल बेंच माननीय मधुरेश प्रसाद द्वारा Civil Review No. 61/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 द्वारा सिविल रिव्यू पेटीशन को खारिज करने का कोई कारण अथवा आधार बताये बिना Civil Review No. 61/2018 को खारिज कर दिया गया |

(1) तुलनात्मक तथ्य विवरणी

(2) CWJC No. 225/ 2015 (महेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य)

(3) CWJC No. 17405/ 2008 (हसन मुजाहिद बनाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य)

क्रमांक	CWJC No. 225/2015 महेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य माननीय न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद द्वारा पारित न्यायिक आदेश दिनांक 29.01.2018	CWJC No. 17405/2008 हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह द्वारा पारित न्यायिक आदेश दिनांक 12.03.2014
1.	महेंद्र प्रसाद के उपर्युक्त वाद का तथ्य यह है कि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति ने मौखिक आदेश द्वारा भोजपुर कार्यालय मंत्री महेंद्र प्रसाद से भूदान संबंधी अत्यंत गोपनीय मूल दस्तावेज की मांग की गयी। लिखित आदेश की मांग करने पर उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन के विरुद्ध रीट याचिका दायर किया गया। रीट याचिका के विचाराधीन अवधि में सेवामुक्ति का आदेश पारित किया गया। जबकि आवेदक पर किसी प्रकार के गबन घोटाला अथवा भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। बल्कि उसके विपरीत बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश आवेदक द्वारा किया गया। इसीलिये पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर बेबुनियाद निराधार मनगढ़ंत आरोप लगाकर गहरी साजिश रचकर आवेदक के विरुद्ध सेवामुक्ति का आदेश पारित किया गया।	हसन मुजाहिद के उपरोक्त वाद का तथ्य यह है कि वह बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्षेत्रीय कर्मी (फील्ड वर्कर) थे। उनपर रुपया के गबन भ्रष्टाचार का आरोप था कि फील्ड में फील्ड में कार्य करते हुए रुपया कलेक्ट करके ऑफिस में जमा नहीं किये। उनपर लगाये गए आरोप के सम्बन्ध में जांच करवाया गया जिसमें उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुआ तथा उसके आधार पर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया।
2.	निलंबन आदेश के विरुद्ध आवेदक महेंद्र प्रसाद द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया गया। रीट याचिका के विचाराधीन अवधि में सेवा मुक्ति आदेश पारित किया गया।	सेवा मुक्ति की तिथि से छः वर्ष बाद उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में उपर्युक्त रीट याचिका दायर किया।
3.	माननीय न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की एकल पीठ द्वारा तीन साल बाद सुनवाई करके सेवा मुक्ति आदेश रद्द किया गया। परन्तु CWJC No. 17405/2008 (हसन मुजाहिद बनाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालायाय द्वारा पारित का केस उद्धृत करके उन्हें उस अवधि के वेतन से वंचित किया गया। जबकि हसन मुजाहिद का मामला इस मामला से तनिक भी मेल नहीं खाता था।	माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ द्वारा उपर्युक्त मामला की सुनवाई करके सेवामुक्ति आदेश को रद्द करके उन्हें सेवा में वापस लिया गया। परन्तु सेवा मुक्ति के छः वर्ष बाद न्यायालय में आने के कारण उस अवधि का वेतन उन्हें नहीं दिया गया।